राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (छात्र) शिमला–171005 के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2011 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्थान के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के उपरान्त निर्णीत एवं अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1988

1	पैरा संख्या 4(ए) से (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा संख्या 8(बी) तथा (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा संख्या 8डी (2 से 7)	अनिर्णीत
4	पैरा संख्या 8(ई) तथा (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा संख्या 10 से 13	अनिर्णीत
6	पैरा संख्या 15 (i) से (iii)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1991

1	पैरा संख्या 4	अनिर्णीत
2	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत
3	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत
4	पैरा संख्या 18	अनिर्णीत
5	पैरा संख्या 19	अनिर्णीत
6	पैरा संख्या 20	अनिर्णीत
7	पैरा संख्या 23	अनिर्णीत
8	पैरा संख्या 25	अनिर्णीत
9	पैरा संख्या 26(अ)	अनिर्णीत
10	पैरा संख्या 26(ब) (2 से 4)	अनिर्णीत
11	पैरा संख्या 28	अनिर्णीत
12	पैरा संख्या 29	अनिर्णीत
13	पैरा संख्या 32	अनिर्णीत
14	पैरा संख्या 34	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

1	पैरा संख्या 7(घ)	अनिर्णीत
2	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत
3	पैरा संख्या 10(क)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1994

1	पैरा संख्या 4(2 से 4)	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 6(क से ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	
4	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या 14	अनिर्णीत	

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1996

1	पैरा संख्या 5(घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 6(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा संख्या 7(8)	अनिर्णीत	
4	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या 12	अनिर्णीत	
6	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2001

1	पैरा संख्या 6 से 10	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 13 तथा 14	अनिर्णीत	
3	पैरा संख्या 16 तथा 17	अनिर्णीत	
4	पैरा संख्या 26	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा संख्या 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति के दृष्टिगत)
2	पैरा संख्या 5 से 9	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006

1	पैरा संख्या 4(ख)	निर्णीत	(दिनांक 31.3.2006 को रोकड़ वही के पृष्ठ–11 पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करने के उपरान्त)
2	पैरा संख्या 5 तथा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा संख्या 7(1)	निर्णीत	(लगभग हर माह के अन्त में रोकड़ वही में बैंक समाधान विवरणी तैयार करने की पुष्टि के उपरान्त)
4	पैरा संख्या 7(2)	अनिर्णीत	
5	पैरा संख्या 7(3)	निर्णीत	(मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर को तैयार

			करने की पुष्टि के उपरान्त)
6	पैरा संख्या 7(4) तथा (5)	अनिर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2009

1	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत	
2	पैरा संख्या 6	आंशिक निर्णीत	(श्री राजेन्द्र मेहता को दिए गए ₹35000 के समायोजन की पुष्टि कर ली गई है। शेष के सन्दर्भ में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए)
3	पैरा संख्या 7(क)	निर्णीत	(₹2800 की वसूली रसीद संख्या 989, दिनांक 9.10.2015 द्वारा करने के उपरान्त)
4	पैरा संख्या 7(ख)	निर्णीत	(अपेक्षित प्रक्रिया में सुधार होने के उपरान्त)

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा संख्या 3	निर्णीत	(अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 के अंकेक्षण शुल्क की ₹3000 को चैक संख्या 285125 दिनांक 9.2.2011 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
2	पैरा संख्या 4	निर्णीत	(निर्णीत पुनः प्रारूपित)
3	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत	
4	पैरा संख्या 6	निर्णीत	(वर्तमान में राशियों को समय पर बैंक में जमा करवाने की पुष्टि के उपरान्त)
5	पैरा संख्या 7	निर्णीत	(रसीद बुकों में प्राप्त राशि का निधिवार विवरण देने की पुष्टि के उपरान्त)
6	पैरा संख्या 8	निर्णीत	(₹1800 को निदेशक, (तकनीकी शिक्षा) के कार्यालय आदेश संख्या 963, दिनांक 2.7.2012 क्षरा "छात्र कल्याण निधि नियम–31" के अन्तर्गत नियमित करवाने के उपरान्त)
7	पैरा 9 (क, ख, ग)	निर्णीत	(₹12262 को निदेशक, (तकनीकी शिक्षा) के कार्यालय आदेश संख्या 1057, दिनांक 17.7.2012 द्वारा "छात्र कल्याण निधि नियम–31" के अन्तर्गत नियमित करवाने के उपरान्त)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (छात्र), शिमला–5 के अवधि 4/2011 से 3/2015 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.9.2015 से 9.10.2015 के दौरान किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए 8/2011, 7/2012, 8/2013, 2/2015 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए 9/2011, 3/2013, 8/2013, 8/2014 के मासों का चयन किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी संस्थान में प्रधानाचार्य व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
1	श्री एमएल शर्मा, प्रधानाचार्य	15.2.2008 से 20.3.2012
2	श्री मोहिन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य	20.3.2012 से लगातार

यहां भी यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पाठशाला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने की स्थिति में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

संस्थान के अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹9000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4, दिनांक 9.10.2015 द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को चैक संख्याः 501057, दिनांक 17.10.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (छात्र) शिमला–5 द्वारा प्रस्तुत संस्थान की लेखावधि 4/2011 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"क"** पर भी संलग्न है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2011–12	3754310.31	1165399	76716	4996425.31	1218151	3778274.31
2012–13	3778274.31	1321526	369026	5468826.31	2636040	2832786.31

2013—14	2832786.31	1039377	111021	3983184.31	1314541	2668643.31
2014—15	2668643.31	1586655	38201	4293499.31	2934729	1358770.31

रोकड़ वही में दिनांक 31.3.2015 को ₹1358770.31 जमा थी, जबकि बैंक में ₹1364780.31 जमा थी। इस प्रकार रोकड़ वही व बैंक में जमा राशि में ₹6010 का अन्तर पाया गया। अन्तर के कारण की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 25.2.2015 को ₹5005 का चैक संख्या 865608 जारी किया गया, जिसे 31.3.2015 तक भुनाया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 9.3.2015 को आईटीआई (छात्रा), शिमला की जुर्माना निधि की आय की ₹1005 को गलती से आईटीआई (छात्र), शिमला के बैंक खाते में जमा किया गया, जिसका रोकड़ वही में लेखांकन नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त ₹1005 को अब आईटीआई (छात्रा), शिमला के खातों में हस्तांतरित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा/निवेश

संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान छात्र निधियों से सावधि जमा में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को छात्र निधियों से कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेशित नहीं थी तथा समस्त शेष राशि बचत खातों में ही रखी गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके भविष्य में उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए आधिक्य/अनुपयुक्त राशि को "छात्र कल्याण निधि के नियम–2009" के नियम 4(बी) के दृष्टिगत सावधि जमा में निवेश किया जाए, ताकि अधिक ब्याज की प्राप्ति हो सके, जिसे छात्रों की विभिन्न गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकता है।

6 उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में ₹344597 के ब्याज की आय से वंचित रहना

संस्थान द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशि, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है, का अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 2.6.2012 को ₹2191517 9% की दर से दो वर्षों के लिए सावधि जमा में निवेश की गई थी, जिसकी परिपक्वता पर दिनांक 2.12.2014 को ₹2191517+ब्याज की ₹426976=₹2618493 प्राप्त होनी थी, परन्तु उक्त सावधि जमा निवेश को 6 माह के पश्चात ही दिनांक 1.12.2012 को परिपक्वता तिथि से पूर्व भी भुना लिया गया, जिसके कारण संस्थान को (मूल ₹2191517 +ब्याज की ₹82379=₹2273896) ही प्राप्त हुई। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जुन्गा को 10 लाख ऋण प्रदान करने हेतु उपरोक्त सावधि निवेश को परिपक्वता तिथि से पूर्व भुनाया गया। इस प्रकार

उचित वित्तीय प्रबन्धन के आभाव में संस्थान को ब्याज के रूप में (₹426976–₹82379=₹344597) की हानि हुई। इसके अतिरिक्त दिनांक 1.12.2012 को आईटीआई जुन्गा को 10 लाख का ऋण प्रदान करने के उपरान्त शेष बची (₹2273896+₹1000000=₹1273896) को भी पुनः सावधि जमा में निवेश नहीं किया गया था। अतः ब्याज की ₹344597 की हानि बारे तथा शेष राशि को पुनः निवेश न करने बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए ही राशि का निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 अग्रिम के रूप में प्रदान की गई ₹48000 का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

परिशिष्ट–"ख" के अनुसार श्री एलआर वर्मा, अनुदेशक को छात्र कल्याण निधि से संस्थान के "अतिथि गृह" की मुरम्मत हेतु दिनांक 19.5.2011 को अग्रिम ₹48000 प्रदान की गई थी। इस अग्रिम राशि का अंकेक्षण की समाप्ति तक लगभग 4 वर्ष से अधिक समय के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया था, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः इतनी लम्बी अवधि तक अग्रिम राशि का समायोजन न करने बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त ₹48000 की दण्ड ब्याज सहित वसूली करके इसे छात्र निधि में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में समस्त अग्रिम राशियों का समय पर समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा चूककर्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो सके।

8 आईटीआई जलोग से ₹20000 की वसूली न करना

रोकड़ वही के पृष्ठ–30 पर मै. न्यू लाईण्ट साउण्ड, शिमला–1 को उनके बिल संख्या 1587, दिनांक 14.8.2013 के एवज में ₹20000 का भुगतान किया गया। यह भुगतान दिनांक 19.5.2013 को आयोजित "Laying of foundation stone ceremony of ITI Jalog, Teh. Sunni, Distt Shimla" समारोह में टैंट इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु किया गया था। चूंकि आयोजित कार्यक्रम आईटीआई जलोग से सम्बन्धित था। अतः उक्त राशि का भुगतान भी आईटीआई जलोग द्वारा किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 की धारा 97 में दिए गए प्रावधान के अनुसार ₹3000 से अधिक व्यय पर बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ हेतु निविदाये इत्यादि भी आमन्त्रित नहीं की गई थी। अतः नियमानुसार निविदाएं आमन्त्रित न करने बारे कारण स्पष्ट किए जाएं एवं उक्त ₹20000 की शीघ्र वसूली आईटीआई जलोग से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी सूचित किया जाए।

9 अग्रिम राशि के समायोजन बारे

(क) अन्य आईटीआई संस्थानों से ₹12493 की वसूली न करना

रोकड़ वही के पृष्ठ–97 पर आईटीआई नाहन में दिनांक 3.4.2013 से 9.4.2013 के दौरान आयोजित "25वीं हि0प्र0 स्टेट आईटीआई स्पोर्ट्स मीट" में जिला शिमला के 25 छात्रों द्वारा भाग लेने हेतु श्री रजिन्दर मेहता, इंस्ट्रक्टर/टीम मैनेजर को दिनांक 1.4.2013 को छात्र कल्याण निधि से अग्रिम ₹55000 का भुगतान किया गया। अग्रिम राशि के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान ₹39040 का व्यय हुआ तथा शेष बची (₹55000–₹39040) ₹15960 को दिनांक 17.4.2013 को छात्र निधि में जमा किया गया। चूंकि शिमला जिला से कुल 25 छात्रों में से आईटीआई शिमला के 17 छात्रों के अतिरिक्त आईटीआई चिड़गांव, प्रगतिनगर व पंथाघाटी के 8 छात्रों ने भी उक्त प्रतियोगिता में भाग लिया था, इस प्रकार आईटीआई चिड़गांव, प्रगतिनगर व पंथाघाटी के 8 छात्रों पर निम्न विवरणानुसार खर्च किए गए ₹12493 के व्यय की वसूली सम्बन्धित संस्थाओं से की जानी अपेक्षित थी, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इसकी वसूली नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व इस राशि की सम्बन्धित संस्थाओं से तुरन्त वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	प्रतिभागियों की सं0	प्रति छात्र व्यय	कुल व्यय
1	आईटीआई चिड़गांव	4	1561.60	6246.40
2	आईटीआई प्रगतिनगर	3	1561.60	4684.80
3	आईटीआई पंथाघाटी	1	1561.60	1561.60
			योग	**₹12493.00**

(ख) क्रय की गई ₹1856 के मूल्य की मदों की स्टॉक प्रविष्टि न करना

उपरोक्त पैरा में वर्णित अग्रिम राशि में से व्यय की गई राशि में से मै. रूपाली जनरल स्टोर, नाहन से बिल संख्या 129, दिनांक 3.4.2013 के अन्तर्गत खिलाड़ियों के लिए 4 जोड़ी जूतों का क्रय किया गया, परन्तु क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई थी, जिसे अब किया गया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 आईटीआई प्रगतिनगर से ₹9720 प्राप्त न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही के पृष्ठ–101 पर छात्रों को दिनांक 9.9.2011 को ₹9720 का भुगतान किया गया था। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि

उप–निदेशक एवं प्रधानाचार्य, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीन्यरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, प्रगतिनगर (गुम्मा), जिला शिमला के कार्यालय आदेश संख्या 286, दिनांक 16.7.2011 की अनुपालना में आईटीआई (छात्र), शिमला के 9 छात्रों/ ट्रेनीज द्वारा दिनांक 17.7.2011 से 28.7.2011 के दौरान उक्त संस्थान में "इलेक्ट्रिकल रिपेयर एण्ड फिटिंग" का कार्य किया गया तथा आईटीआई (छात्र), शिमला द्वारा दिनांक 9.9.2011 को उक्त अवधि के लिए छात्रों को प्रति छात्र ₹1080 की दर से निम्न विवरणानुसार यात्रा भत्ते के रूप में दिनांक 9.9.2011 को कुल (9x1080=₹9720) भुगतान किया गया। चूंकि उपरोक्त कार्य आईटीआई प्रगतिनगर से सम्बन्धित था। इसलिए छात्रों को यात्रा भत्ते का भुगतान भी आईटीआई, प्रगतिनगर द्वारा किया जाना अपेक्षित था। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹9720 की वसूली आईटीआई प्रगतिनगर से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	**छात्र का नाम**	**अवधि**	**कुल व्यय**
1	शिव सिंह	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
2	टिक्कम सिंह	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
3	सुनील कुमार	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
4	नित्यानन्द	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
5	नितेश	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
6	हरीश	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
7	दिवाकर	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
8	नरेश कुमार	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
9	पवन कुमार	17.07.2011 से 28.07.2011	1080
		योग	**₹9720**

11 जीवन बीमा निधि की ₹7500 वसूली न करना

"छात्र कल्याण निधि नियम–2009" के अनुसार अन्य निधियों के अतिरिक्त छात्रों से जीवन बीमा योजना निधि के रूप में प्रति छात्र/प्रति वर्ष ₹100 की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा वर्ष 2011–12 में दूसरे वर्ष के छात्रों से उक्त निधि की वसूली नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 में 75 छात्रों से ₹100 की दर से ₹7500 की वसूली नहीं की गई, जिसके कारण उक्त वर्ष में इन छात्रों को जीवन बीमा योजना से वंचित रहना पड़ा, जोकि अनियमित है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की चूक न दोहराई जाए।

12 आईटीआई जुन्गा को ऋण के रूप में प्रदान की गई ₹882595 का दिनांक 31.3.2015 तक वसूली हेतु शेष पाया जाना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जुन्गा को दिनांक 23.7.2012 व 1.12.2012 को क्रमशः ₹100000 व ₹1000000 अर्थात कुल ₹1100000 ऋण के रूप में प्रदान की गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है। यह राशियां आईटीआई जुन्गा को स्टाफ के वेतन व भवन के किराये का भुगतान करने हेतु प्रदान की गई थी। उपरोक्त राशि में से अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान केवल ₹217405 ही वापिस प्राप्त हुई तथा बकाया (₹1100000–₹217405=₹882595) दिनांक 31.3.2015 तक प्राप्त की जानी शेष थी। यहां यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि उक्त ₹1000000 का ऋण प्रदान करने हेतु संस्थान द्वारा अपनी ₹2191517 की एफडीआर संख्या 895853 को परिपक्वता तिथि से पूर्व दिनांक 1.12.2012 को भुनाया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ख"** में दिया गया है। अतः शेष ऋण की ₹882595 प्राप्त न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी आईटीआई जुन्गा से शीघ्र प्राप्ति हेतु ठोस प्रयास किए जाएं, क्योंकि इस राशि पर लगातार ब्याज की हानि हो रही है, जोकि संस्थान की छात्र कल्याण निधि के हित में नहीं है।

13 मानदेय के रूप में भुगतान की गई ₹2378552 की प्रतिपूर्ति न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से अस्थाई तौर पर नियुक्त अनुदेशक/अध्यापक/लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को मानदेय/वेन के रूप में ₹3628238 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ग"** पर दिया गया है। उक्त भुगतान की गई राशि में से दिनांक 31.3.2015 तक ₹3628238 में से सरकारी बजट से केवल ₹1249686 के मानदेय की ही प्रतिपूर्ति हुई तथा (₹3628238–₹1249686=₹2378552) प्रतिपूर्ति की जानी शेष थी। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त मानदेय की प्रतिपूर्ति निदेशक (तकनीकी शिक्षा) के माध्यम से सरकारी बजट के मुख्य शीर्षः 2230–03–003–05–सून–गैर–योजना एस0ओ0ई0 99– मानदेय मांग संख्या 27 के अन्तर्गत की गई है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नियमानुसार उपरोक्त भुगतान किए गए सम्पूर्ण मानदेय की सरकारी बजट से प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है अथवा इसका एक निश्चित भाग ही प्राप्त करना अपेक्षित होता है। अतः इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त किए जाएं व भुगतान किए गए शेष मानदेय की राशि की प्रतिपूर्ति भी नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

14 निक्षेप कार्य (Deposit Work) करवाने हेतु जमा करवाई राशि में से ₹1682600 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से निक्षेप कार्य करवाने हेतु **परिशिष्ट–"ग"** के अनुसार दिनांक 1.1.2013 व 29.5.2014 को क्रमशः ₹153000 व ₹1682600 अर्थात कुल ₹1835600 का विभिन्न एजेंसियों को भुगतान किया गया। उपरोक्त भुगतान की गई राशियों में से दिनांक 31.3.2015 तक केवल उपरोक्त ₹153000 के निक्षेप कार्य के "अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र" प्राप्त हुए थे तथा बकाया ₹1682600 के अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त होने शेष थे। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शेष ₹1682600 के निक्षेप कार्य प्रगति पर है। इसलिए सम्बन्धित एजेंसी से "अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र" प्राप्त करने लम्बित है। अतः ₹1682600 के निक्षेप कार्य का निष्पादन नियमानुसार समय पर पूर्ण करवाकर सम्बन्धित एजेंसियों से अपेक्षित "अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र" प्राप्त किए जाए व इसकी अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

15 हि0प्र0 राज्य हैंडीक्राफ्ट् एण्ड हैंडलूम कार्पोरेशन लिमिटेड, की बिलासपुर शाखा को भुगतान की गई ₹162997 से सम्बन्धित अनियमितताएं

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही पृष्ठ–103 पर दिनांक 27.9.2011 को हि0प्र0 राज्य हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम कार्पोरेशन लिमिटेड, की बिलासपुर शाखा को ₹162997 का भुगतान किया गया था। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि यह भुगतान "Procurement of material for providing electrical power wiring in different trades" हेतु इलैक्ट्रिकल मदों के क्रय के लिए किया गया था। सामान से सम्बन्धित प्रोफॉर्मा इन्वाइस दिनांक 20.4.2011 को प्राप्त हुई, जिसके आधार पर संस्थान द्वारा दिनांक 26.4.2011 को उक्त निगम को वस्तुओं की खरीद हेतु "आपूर्ति आदेश" दिया गया, परन्तु अभिलेख में क्रय से सम्बन्धित कोई भी "वास्तविक बिल" संलग्न नहीं था तथा न ही वस्तुओं की प्राप्ति का कोई प्रमाण पत्र दर्ज पाया गया, अपितु प्रोफॉर्मा इन्वाइस के आधार पर ही दिनांक 27.9.2011 को उक्त निगम को ₹162997 का भुगतान कर दिया गया। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि क्रय की गई मदों का उक्त निगम से "वास्तविक बिल" प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वास्तविक बिल व वस्तुओं की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के अभाव में ₹162997 के भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए व निगम से क्रय किए गए सामान का वास्तविक बिल शीघ्र प्राप्त करने के साथ–साथ वस्तुओं की प्राप्ति का प्रमाण पत्र भी दर्ज किया जाए। इसके अतिरिक्त अभिलेख की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि हि0प्र0 राज्य हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम कार्पोरेशन लिमिटेड, की बिलासपुर शाखा द्वारा 13.75% वैट सहित जारी

किए गए ₹162997 के प्रोफॉर्मा इन्वाइस पर आईटीआई (छात्र) शिमला को फॉर्म–डी भर कर भेजने बारे लिखा गया था, परन्तु संस्थान द्वारा निगम को फॉर्म–डी भर कर नहीं भेजा गया, जिस पर 5% की दर से वैट देय था, परिणामस्वरूप संस्थान द्वारा फॉर्म–डी योजना का लाभ न लेते हुए उक्त निगम को निम्न विवरणानुसार ₹12538 का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस अनियमितता बारे भी तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹12538 के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्र0 सं0	प्रोफॉर्मा इन्वाइस सं0	दिनांक	मद का नाम	राशि	वैट दर 13.75%	फॉर्म–डी पर देय वैट दर 5%	अन्तर
1	005455	शून्य	विभिन्न इलैक्ट्रिकल आइटम्स	51774	7119	2589	4530
2	005456	शून्य	–यथोपरि–	91520	12584	4576	8008
							₹12538

16 आईएमसी को भुगतान की गई राशि में से बकाया ₹98750 की प्रतिपूर्ति न करना

रोकड़ वही के पृष्ठ–90 व 95 पर छात्र निधि से संस्थान के आईएमसी (Institute Management Committee) के कैशियर को दिनांक 27.2.2013 व 21.3.2013 को क्रमशः ₹58000 व ₹125750 अर्थात कुल ₹183750 का भुगतान किया गया। अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर0डी0ए0टी0 फरीदाबाद के माध्यम से संचालित “Modular Employability Skill” योजना के अन्तर्गत आईटीआई शिमला को “Vocational Training Provider” (VTP) के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत संस्थान के 101 छात्रों को अवधि 5.2.2013 से 31.3.2013 के दौरान प्रशिक्षण दिया गया, जिसके लिए ₹183750 का भुगतान किया गया। निदेशालय (तकनीकी शिक्षा) में दिनांक 7.12.2012 को हुई बैठक के अनुसार इस भुगतान की प्रतिपूर्ति उक्त महानिदेशालय से होनी थी, परन्तु दिनांक 31.3.2015 तक उक्त राशि में से केपल निम्न विवरणानुसार ₹85000 ही छात्र निधि में प्राप्त हुई थी तथा बकाया (₹183750–₹85000=₹98750) प्राप्त की जानी शेष थी। अतः शेष राशि की भी उक्त महानिदेशालय से शीघ्र प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाएं व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ वही पृष्ठ	रसीद सं0	दिनांक	प्राप्त राशि
1	36	4986	07.9.2013	45750
2	46	5223	16.11.2013	20000
3	56	5247	16.01.2014	19250
			योग	**85000**

कुल भुगतान	₹183750
शेष राशि	₹98750

17 छात्र कल्याण निधि में ₹20000 का अनियमित भुगतान करना

अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सैहब सोसाइटी (Shimla Environment, Heritage Conservation and Beautification Society) को डोर–टू–डोर गरबेज कलेक्शन योजना के अन्तर्गत ₹20000 का भुगतान किया गया, परन्तु "छात्र कल्याण निधि नियम–2009" में इस प्रकार के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रावधानों के विपरीत उक्त सोसाइटी को भुगतान करना अनियमित है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा "छात्र कल्याण निधि नियम–2009" के नियम–31 के अन्तर्गत निदेशक (तकनीकी शिक्षा) से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाए व भविष्य में "छात्र कल्याण निधि नियम–2009" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	माह जिसका भुगतान किया गया	दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹1000 प्रति माह की दर से)
1	4/11 व 5/11	29.6.2011	2000
2	6/11 व 7/11	28.8.2011	2000
3	8/11	14.9.2011	1000
4	9/11 व 10/11	15.11.2011	2000
5	11/11 व 12/11	16.1.2012	2000
6	2/12	2.4.2012	1000
7	3/12 व 4/12	15.5.2012	2000
8	5/12 व 6/12	25.7.2012	2000
9	1/13 व 2/13	29.3.2013	2000
10	5/13 व 6/13	14.8.2013	2000
11	11/13 व 12/13	8.1.2014	2000
		योग	₹20000

18 नियमों के प्रावधानों के विपरीत ₹9355 मूल्य की मदों का क्रय बारे

स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा की निम्न वर्णित मदों को क्रय करने पर ₹9355 का व्यय किया गया, जबकि "छात्र कल्याण निधि नियम–2009" के अन्तर्गत इस प्रकार की मदों के क्रय का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नियमों से प्रावधानों के विपरीत मदों को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में "छात्र कल्याण निधि नियम–2009 के नियम–31" के अन्तर्गत निदेशक (तकनीकी शिक्षा) से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	मद का नाम	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0	मात्रा	राशि
1	कप एण्ड सोसिज	41	1 सैट	675
2	मिल्टन टिफिन	42	1 सैट	1950
3	ब्रासिल ग्लास	43	6 पीस	350
4	डिनर सेट	44	1 सैट	1990
5	टरमरिज	45	1 नंबर	375
6	मिक्रोवेव डेग/वाउल्स	46	1 नंबर	375
7	सर्विस बोन विद लेड	65	3 नंबर	1050
8	सर्विस स्पून	66	3 नंबर	210
9	स्माल स्पून	67	48 नंबर	960
10	स्म हीटर (डबल रोड)	108	1 नंबर	1420
			योग	**₹9355**

19 स्टॉक अभिलेख/रजिस्टर का उचित प्रकार से रख–रखाव न करना

आईटीआई (छात्र) शिमला व आईटीआई (छात्रा) शिमला दो अलग–अलग इकाइयां है, परन्तु इन दोनों संस्थानों की छात्र निधियों से समय–समय पर क्रय की गई विभिन्न मदों के लिए “Main Stock Register” के नाम से एक ही स्टॉक रजिस्टर का निर्माण किया गया है तथा समस्त उपभोज्य एवं गैर उपभोज्य वस्तुओं की प्रविष्टियां भी इसी रजिस्टर में दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त रजिस्टर की विभिन्न मदों को इंडेंट द्वारा विभिन्न ट्रेड्स के अनुदेशकों/कर्मचारियों को समय–समय पर जारी भी किया गया था, परन्तु **परिशिष्ट–“घ”** के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक इनकी खेलकूद से सम्बन्धित अनुपयोगी वस्तुओं की सूची एवं भौतिक सत्यापन सम्बन्धी सूचना ही अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि आई0टी0आई0 (छात्र) शिमला व आई0टी0आई0 (छात्रा) शिमला के लिए अलग–अलग स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण किया जाए तथा उपभोज्य एवं गैर उपभोज्य वस्तुओं के भी अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर तैयार किए जाएं। इसके अतिरिक्त समस्त मदों से सम्बन्धित स्टॉक की स्थिति/भौतिक सत्यापन तथा अनुपयोगी वस्तुओं की सूचियां तैयार की जाएं तथा “छात्र कल्याण निधि नियम–2009 के नियम–4(6)” के अनुसार इनको स्टॉक से खारिज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

20 सरकारी शुल्कों की प्राप्ति बारे

(क) छात्रों से सरकारी शुल्क के रूप में प्राप्तियों का सम्बन्धित कोषागार से मिलान न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रों से प्राप्त की गई सरकारी शुल्क के रूप में प्राप्तियों जैसे प्रवेश शुल्क, अध्ययन शुल्क इत्यादि को समय–समय पर कोषागार/बैंक में जमा करवाने से सम्बन्धित चालान अंकेक्षण में प्रस्तुत तो किए गए, परन्तु जमा करवाई गई राशि का सम्बन्धित कोषागार से मासिक मिलान (Monthly Reconciliation) नहीं किया गया था, जिससे

जमा करवाई गई राशि का वास्तविक सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः सुझाव दिया जाता है कि सरकारी शुल्क की प्राप्तियों/जमा करवाई गई राशियों का कोषागार कार्यालय के साथ मासिक मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

(ख) छात्रों से प्राप्त की गई सरकारी शुल्क से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रों से समय–समय पर विभिन्न सरकारी शुल्कों जैसे प्रवेश शुल्क, अध्ययन शुल्क इत्यादि की प्राप्ति की गई थी, परन्तु इनसे सम्बन्धित कोई भी "संग्रह रजिस्टर" का निर्माण नहीं किया गया था। रसीद बुकों द्वारा प्राप्त राशि को सीधे कोष/बैंक में जमा करवाया जा रहा है, जबकि रसीदों का "संग्रह रजिस्टर" तैयार करके इसमें छात्रावार प्राप्त राशि का पूर्ण विवरण दिया जाना भी अपेक्षित होता है, ताकि उपरोक्त शुल्कों का दिनांकवार/माहवार/वर्षवार एक स्थान पर ही अभिलेख रखा जा सके। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उक्त अभिलेख तैयार किए जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 लघु आपत्ति विवरणिका :– लघु आपत्तियों विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी।

22 निष्कर्ष :– लेखों एवं अभिलेख के रख–रखाव विशेष सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन सं0 :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(i)187/88, खण्ड–4–1931–1932, दिनांक01.04.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (छात्र) शिमला–5 जिला शिमला हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, हि0प्र0।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.